

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर  
क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक-भर्ती/प्रमुवसं/13793-814  
निमित्त,

दिनांक 30-12-2014

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)

राजस्थान जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर/  
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

जयपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव जोधपुर/  
वन्य जीव कोटा/वन्य जीव जयपुर/मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर/  
मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन अधिकारी जयपुर/मुख्य वन संरक्षक आर.पी.पी. कोटा/  
मुख्य वन संरक्षक बनास नदी परियोजना जयपुर/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) वन भवन जयपुर।

विषय:- वनपाल/वनरक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभाग में वनपाल/वनरक्षकों की सीधी भर्ती चयन आयोग बोर्ड द्वारा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के पत्रांक आर.एस.एम. एस.एस.बी./2014/109 दिनांक 11.12.2014 द्वारा विभाग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अर्चना पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु लिखा है।

आपके संभागाधीन वन मण्डल कार्यालयों में उक्तानुसार वनपाल/वनरक्षक के रिक्त हुए पदों को राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के प्रावधानान्तर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्र/आदेशों के अन्तर्गत भरा जाना है।

अतः आपके कार्यालय/संभागाधीन वन मण्डल कार्यालयों में दिनांक 01.03.2013 के पश्चात रिक्त हुए वनपाल/वनरक्षकों के पदों एवं दिनांक 31.03.2015 तक सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले उक्त पदों की शामिल करते हुए संकलित सूचना राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या इंगित करते हुए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के उक्त पत्र दिनांक 11.12.2014 के संलग्न अर्चना प्रपत्र के भाग संख्या 2 "क,ख,ग" में उल्लेखित प्रपत्रानुसार वनपाल एवं वनरक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की सूचना दिनांक 10.01.2015 तक फ़ैक्स एवं ई-मेल द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि विभाग में वनपाल/वनरक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से नियमान्तर्गत भरे जाने की अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

उपरोक्तानुसार दर्शाये जाने वाले वनपाल एवं वनरक्षक के रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेशों के अनुसार अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत, ओ0बी0सी0 हेतु 21 प्रतिशत, एस0बी0सी0 हेतु 1 प्रतिशत आरक्षण देय है। अनुसूचित (टी0एस0पी0) क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगे। जिला बांरा में भरे जाने वाले पदों में 25 प्रतिशत पद शाहाबाद एवं किशनगंज के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए नियमानुसार आरक्षण देय है।

अनुसूचित क्षेत्र की अधिनस्थ सेवा की रिक्तियों की स्वीकृत एवं संवर्गवार सूचना अलग-अलग भिजवावे तथा ई-मेल पर Microsoft Office Excel Devlys 010 में निम्न पते पर 1. ccfitforest@rajasthan government, 2. apccf. admn. forest @ rajasthan gov. in भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्तानुसार चयन बोर्ड का पत्र दिनांक 11.12.2014 एवं  
अर्चना प्रपत्र का भाग संख्या 2 (क,ख,ग)

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)  
राजस्थान जयपुर

वनपाल (सीधी भर्ती के पद) के रिक्त पदों को भरे जाने संबंधी विवरण

भाग - 2

| क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना |                                       |                    |                 |         |       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
| क्र. स.                           | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|                                   |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.                                | सामान्य वर्ग                          |                    |                 |         |       |            |
| 2.                                | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.                                | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 4.                                | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |
| 5.                                | पिछड़ा वर्ग                           |                    |                 |         |       |            |
| 6.                                | विशेष पिछड़ा वर्ग                     |                    |                 |         |       |            |

ख. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना

| क्र. स. | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
|         |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.      | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
| 2.      | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.      | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
| 4.      | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 5.      | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |

| ग. क्षेत्रीय आरक्षण |              |                     |                     |                     |                  |                |                  |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| निःशक्तजन           |              |                     | राजकीय कर्मचारी     |                     |                  | भूतपूर्व सैनिक | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| दृष्टिहीन (B/LV)    | मूकबधिर (HI) | अस्थि विकृत (LD/CP) | अराजपत्रित कर्मचारी | मंत्रालयिक कर्मचारी | विभागीय कर्मचारी |                |                  |
|                     |              |                     |                     |                     |                  |                |                  |

—: प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप है और कार्यालय अनुदेशों (Exectutive Instructions) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

वनरक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने संबंधी विवरण

भाग - 2

| क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना |                                       |                    |                 |         |       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
| क्र. स.                           | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|                                   |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.                                | सामान्य वर्ग                          |                    |                 |         |       |            |
| 2.                                | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.                                | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 4.                                | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |
| 5.                                | पिछड़ा वर्ग                           |                    |                 |         |       |            |
| 6.                                | विशेष पिछड़ा वर्ग                     |                    |                 |         |       |            |

ख. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना

| क्र. स. | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
|         |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.      | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
| 2.      | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.      | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
| 4.      | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 5.      | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |

| ग. क्षैतिज आरक्षण |              |                     |                     |                     |                  |                |                  |      |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| निःशक्तजन         |              |                     | राजकीय कर्मचारी     |                     |                  | भूतपूर्व सैनिक | उत्कृष्ट खिलाड़ी | अन्य |
| दृष्टिहीन (B/LV)  | मूकबधिर (HI) | अस्थि विकृत (LD/CP) | अराजपत्रित कर्मचारी | मंत्रालयिक कर्मचारी | विभागीय कर्मचारी |                |                  |      |
|                   |              |                     |                     |                     |                  |                |                  |      |

—: प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप है और कार्यालय अनुदेशों (Exectutive Instructions) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम हैं।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

**राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर**

No: RSMSSB/2014/ 109

Jaipur, Dated: 11-12-2014

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव  
समस्त प्रमुख शासन सचिव  
समस्त शासन सचिव

कार्यालय वन विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
डाथरी कर्मक 609517  
दिनांक 17/12/14

DSF  
12/12/14

विषय:- राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को आपके विभाग से सम्बन्धित रिक्त पदों को भरने हेतु सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इस नवगठित बोर्ड द्वारा राज्य में विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 29.10.14 द्वारा रिक्त पदों पर की जाने वाली भर्तियों की अग्रिम तैयारियां करने बाबत आपको निवेदन किया गया था। चूंकि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प0 17(14) कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा पे-ग्रेड 3600 तक के समस्त पदों की भर्ती इस बोर्ड द्वारा की जायेगी।

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का पता एवं ई-मेल निम्न प्रकार है :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,  
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।  
e-mail - secyrsmssb@rajasthan.gov.in

अतः कृपया आपके विभाग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अर्थना-पत्र (प्रति संलग्न) निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए शीघ्र भिजवाने का श्रम करें :-

1. अर्थना पत्र पर विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
2. अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक पदों के सेवा नियमों की प्रति संलग्न की जावे, क्योंकि भर्तियां सेवा नियमों के आधार पर ही होगी।
3. रिक्त पदों की वर्षवार सख्या अंकित की जावे। यदि नये पद स्वीकृत हुये हो तो वित्त विभाग की स्वीकृति संलग्न की जावे।
4. प्रत्येक संवर्ग पद के लिए अलग-अलग अर्थना भिजवायें।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/चौकीदार आदि पदों के लिए अर्थना स्वीकार नहीं की जावेंगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Copy to PCCF (H.O.F.F) For MIA

भवदीय,

विशाल  
23/12/14

PCCF (H.O.F.F)

(आर0के0मीणा)  
अध्यक्ष

## राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

-: अर्थना प्रपत्र :-

भाग-1  
(क. हिन्दी में)

(इस भाग को हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरे। आवश्यकता अनुसार अलग अलग पृष्ठ प्रयुक्त करें)

|     |                                  |                                                                 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | विभाग का नाम                     |                                                                 |
| 2.  | विभाग का मुख्यालय                |                                                                 |
| 3.  | पद का नाम                        |                                                                 |
| 4.  | भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या |                                                                 |
| 5.  | वेतनमान, पे बैंड व ग्रेड पे      |                                                                 |
| 6.  | अनिवार्य योग्यता                 |                                                                 |
| 7.  | अधिमान्य योग्यता                 |                                                                 |
| 8.  | अनुभव                            |                                                                 |
| 9.  | न्यूनतम आयुसीमा                  |                                                                 |
| 10. | अधिकतम आयुसीमा                   |                                                                 |
| 11. | संबद्ध सेवा नियम                 |                                                                 |
| 12. | पद का नियम में सेवा वर्ग         | अधीनस्थ सेवा/मंत्रालयिक सेवा                                    |
| 13. | पद की प्रकृति                    | स्थायी/अस्थायी                                                  |
| 14. | परीक्षा का स्वरूप                | प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती                 |
| 15. | निर्धारित पाठ्यक्रम              | यदि नियमानुसार पाठ्यक्रम निर्धारित है तो उसकी प्रति संलग्न करें |
| 16. | अन्य विशेष शर्तें/योग्यताएँ      |                                                                 |

भाग-1  
(ख. अंग्रेजी में)

|     |                                          |                                                            |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Name of the Department                   |                                                            |
| 2.  | Headquarter of the Department            |                                                            |
| 3.  | Name of the Post                         |                                                            |
| 4.  | No. of Posts to be filled up             |                                                            |
| 5.  | Pay Scale, Pay Band & Grade Pay          |                                                            |
| 6.  | Essential Qualification                  |                                                            |
| 7.  | Preferential Qualification               |                                                            |
| 8.  | Experience                               |                                                            |
| 9.  | Minimum Age Limit                        |                                                            |
| 10. | Maximum Age Limit                        |                                                            |
| 11. | Relevant Service Rule                    |                                                            |
| 12. | Service Category in Relevant Rules       | Subordinate Service/Ministerial Service                    |
| 13. | Type of Post                             | Permanent/Temporary                                        |
| 14. | Mode of Recruitment                      | By Competitive Exam/Direct Recruitment by Interview        |
| 15. | Prescribed Syllabus                      | If Syllabus Prescribed as per Rules then Attached the copy |
| 16. | Other Specific Conditions/Qualifications |                                                            |

भाग - 2

| क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना |                                       |                    |                 |         |       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
| क्र. स.                           | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|                                   |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.                                | सामान्य वर्ग                          |                    |                 |         |       |            |
| 2.                                | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.                                | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
|                                   | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 4.                                | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |
| 5.                                | पिछड़ा वर्ग                           |                    |                 |         |       |            |
| 6.                                | विशेष पिछड़ा वर्ग                     |                    |                 |         |       |            |

ख. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना

| क्र. स. | वर्ग                                  | कुल पदों की संख्या | सामान्य (पुरुष) | महिला   |       |            |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|------------|
|         |                                       |                    |                 | सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
| 1.      | अनुसूचित जाति                         |                    |                 |         |       |            |
| 2.      | अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)           |                    |                 |         |       |            |
| 3.      | अनुसूचित जनजाति                       |                    |                 |         |       |            |
| 4.      | अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)         |                    |                 |         |       |            |
| 5.      | बांरा जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु |                    |                 |         |       |            |

ग. क्षेत्रीय आरक्षण

| निःशक्तजन        |              |                     | राजकीय कर्मचारी     |                     |                  | भूतपूर्व सैनिक | उत्कृष्ट खिलाड़ी | अन्य |
|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| दृष्टिहीन (B/LV) | मूकबधिर (HI) | अस्थि विकृत (LD/CP) | अराजपत्रित कर्मचारी | मंत्रालयिक कर्मचारी | विभागीय कर्मचारी |                |                  |      |
|                  |              |                     |                     |                     |                  |                |                  |      |

—: प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप है और कार्यालय अनुदेशों (Exectutive Instructions) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

## राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

—: भर्ती का अर्थना प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश :-

1. प्रत्येक पद विशेष हेतु पृथक-पृथक अर्थना प्रपत्र भर कर भेजें।
2. प्रपत्र के प्रत्येक भाग में पूर्ण सूचना अंकित करें व जो भाग लागू न हो, उन्हें अवश्य काट दें। इसके अभाव में पद को विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।
3. अर्थना प्रपत्र को अपूर्ण या अशुद्ध भरकर भेजने, विलम्ब से भेजने अथवा समय पर सूचना न देने आदि समस्त कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अधियानकर्ता (Requisitioning Authority) पर होगा और इसका उल्लेख बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाएगा।
4. आरक्षित पदों की रोस्टर प्रणाली के आधार पर निर्धारित संख्या अंकित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का ही होगा।
5. प्रपत्र के भाग-2 (ग) में निःशक्तजन के अतिरिक्त अन्य क्षैतिज आरक्षण अधीनस्थ सेवा में ही लागू होंगे।
6. निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों की गणना दिनांक 26-07-2011 को जारी राजस्थान निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार एवं अभिरक्षा) नियम, 2011 के नियम 37 में निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप की जाए।
7. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन/महिला वर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो पदों को नियमानुसार मेरिट की सामान्य प्रक्रिया से भरा जाए या उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों से ही भरा जाए, स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
8. यदि पद से सम्बन्धित सेवा नियम नहीं बने हैं या पद को सम्बन्धित सेवा नियमों के शिड्यूल में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उसके लिये निर्धारित योग्यता/अनुभव, आयुसीमा एवं आयुसीमा में छूट आदि के आदेशों की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
9. यदि पद नवीन वेतनमान में सम्मिलित नहीं है, तो वेतनमान/अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन वृद्धि से सम्बन्धित आदेशों की प्रति अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
10. यदि पद को विहित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से समाविष्ट किया गया हो, तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
11. पद से सम्बन्धित योग्यताओं, अनुभव एवं आयु का विवरण पूर्ण रूप से यथास्थान भरें। केवल नियमानुसार या यूनिवर्सिटी हैण्डबुक के अनुसार लिखना पर्याप्त नहीं होगा। यदि सम्बन्धित भाग में लिखने के लिए स्थान अपर्याप्त रहता है, तो परिशिष्ट संलग्न करें।
12. यदि योग्यता में "मान्यता प्राप्त संस्था" से शब्द हो, तो मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें। यदि योग्यता में "समकक्ष" शब्द हो तो समकक्ष योग्यता की सूची/तत्संबंधी आदेशों की प्रति संलग्न करें। यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो, तो उसका पूर्ण उल्लेख करें कि वह किस प्रकार का हो तथा कहाँ से प्रशिक्षण लिया हुआ हो।

### राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी करने से पूर्व रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित अर्थना की चेक लिस्ट  
(इस चेक लिस्ट को भरकर अर्थना के साथ अवश्य भेजे)

| क्र. सं. | पद व विभाग का नाम                                                                                                                                                                                                                                                          | उत्तर    | टिप्पणी/संलग्नक संख्या |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 1.       | क्या पद नियमों से संलग्न अनुसूची (Schedule) में सम्मिलित है ? (यदि नहीं, तो उसका विवरण देकर उल्लेखित करें)                                                                                                                                                                 | हाँ नहीं |                        |
| 2.       | क्या विज्ञापित होने वाले पद से नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में नियम (Rule) व अनुसूची (Schedule) में कोई अंतर है ? (यदि हाँ, तो उसका विवरण देकर उल्लेखित करें)                                                                                                               | हाँ नहीं |                        |
| 3.       | क्या यह पद बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है ? (यदि यह पद बोर्ड के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो क्या संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कराया गया है)                                                                                                                | हाँ नहीं |                        |
| 4.       | क्या पदों की भर्ती हेतु विज्ञापित कराने से पूर्व कार्मिक व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? (यदि हाँ, तो उसकी छायाप्रति संलग्न करें)                                                                                                                          | हाँ नहीं |                        |
| 5.       | यदि अर्थना पदोन्नति के पदों से संबद्ध है, तो क्या पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं बोर्ड की सहमति प्राप्त कर ली गई है ?                                                                                                                   | हाँ नहीं |                        |
| 6.       | क्या कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार आवेदकों को आयुसीमा में छूट दी जानी है ? (यदि छूट दी जानी है तो कितने वर्ष की देनी है, स्पष्ट करें)                                                                                                              | हाँ नहीं |                        |
| 7.       | क्या इन पदों की भर्ती प्रथम बार हो रही है ? (यदि पूर्व में यह भर्ती की गई है, तो उसका वर्ष/विज्ञापन संख्या लिखें)                                                                                                                                                          | हाँ नहीं |                        |
| 8.       | क्या पूर्व में यह भर्ती आयोग द्वारा ही की गई है ? (यदि पूर्व में यह भर्ती विभाग/अन्य द्वारा की गई है, तो उल्लेख करें)                                                                                                                                                      | हाँ नहीं |                        |
| 9.       | क्या पद की योग्यता व अन्य विवरण अर्थना प्रपत्र पर नियमानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में अंकित कर दिए गए हैं ?                                                                                                                                                           | हाँ नहीं |                        |
| 10.      | क्या समस्त आवश्यक आदेशों/परिशिष्ट आदि की छायाप्रति अर्थना के साथ संलग्न की गई है ?                                                                                                                                                                                         | हाँ नहीं |                        |
| 11.      | क्या भरे जाने वाले पदों की संख्या आरक्षण के अनुपात व रोस्टर के अनुरूप है ? (यदि नहीं, तो भिन्नता का कारण स्पष्ट करें।)<br>(सुविधाार्थ आरक्षण के अनुपात/प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट संलग्न है, जिस भी वर्ग में निर्धारित अनुपात/प्रतिशत भिन्नता हो, उसे स्पष्ट करें) | हाँ नहीं |                        |

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय मोहर

## आरक्षण की अनुपात/प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट

(इस नियमानुसार सामान्य स्थिति में बैकलाग होने, रोस्टर में भिन्न कम होने, राज्यस्तर से निम्न संवर्ग होने, न्यायिक निर्णयाधीन होने या पृथक् राजकीय आदेश होने आदि के कारण भिन्नता आ सकती है, जिसे विभाग चेक कर ले)

| 1. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना |                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|
| क्र. सं.                          | वर्ग                                                                                                                                                                 | कुल पदों की संख्या                   | सामान्य (संबद्ध वर्ग में अनारक्षित) (कुल पदों का 70%) | महिला (कुल पदों का 30%)   |                        |                                    | रिक्ति वर्ष                       |      |
|                                   |                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       | सामान्य (कुल पदों का 20%) | विधवा (कुल पदों का 8%) | परित्यक्ता (कुल पदों का 2%)        |                                   |      |
| 1.                                | सामान्य वर्ग (अनारक्षित) (कुल पदों का 50%)                                                                                                                           |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 2.                                | अनुसूचित जाति (कुल पदों का 16%)                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
|                                   | अनुसूचित जाति TSP क्षेत्र (TSP क्षेत्र के पदों का 5%)                                                                                                                |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 3.                                | अनुसूचित जनजाति (कुल पदों का 12%)                                                                                                                                    |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 4.                                | अनुसूचित जनजाति TSP क्षेत्र (TSP क्षेत्र के पदों का 45%)                                                                                                             |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 5.                                | बांरा जिले के सहरिया आदिम जाति हेतु (कुल रिक्तियों का 25%)<br>कार्मिक (क-2) विभाग के निर्देश दिनांक 21.05.13 के अनुसार<br>SC - 8%<br>ST- 6 %<br>OBC- 10 %<br>SBC- 1% |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 6.                                | पिछड़ा वर्ग (कुल पदों का 21%)                                                                                                                                        |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 7.                                | विशेष पिछड़ा वर्ग (कुल पदों का 1% एवं 4% Notional)                                                                                                                   |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| 2. क्षैतिज आरक्षण                 |                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| निःशक्तजन (कुल पदों का 3%)        |                                                                                                                                                                      |                                      | राजकीय कर्मचारी * (कुल पदों का 1%)                    |                           |                        | भूतपूर्व सैनिक (कुल पदों का 12.5%) | उत्कृष्ट खिलाड़ी (कुल पदों का 2%) | अन्य |
| दृष्टिहीन (B/LV) (कुल पदों का 1%) | मूकबधिर (HI) (कुल पदों का 1%)                                                                                                                                        | अस्थि विकृत (LD/CP) (कुल पदों का 1%) | अराजपत्रित कर्मचारी                                   | मंत्रालयिक कर्मचारी       | विभागीय कर्मचारी       |                                    |                                   |      |
|                                   |                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |
| * संश्लेषित आरक्षण                |                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                           |                        |                                    |                                   |      |

\* संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान होने की स्थिति में।